प्रपत्र 30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(For linear projects)

Government of Uttarakhand **Office of the District Collector New Tehri**

No Dated 29/9/16.

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Complinance Of The Ministry Of Environment And Forests (MOEF), Government Of India's Letter No 11-9/98-FC(Pt) Dated 3rd August 2009 Wherein The Moef Issued Guidelines On Submission Of Evidences For Having Initiated And Completed The Process Of Settlement Of Rights Under The Scheduled Tribes And Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition Of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', For Short) On The Forest Land Proposed To Be Diverted For Non-Forest Purposes Read With Moef's Letter Dated 5th February 2013 Wherein Moef Issued Certain Relaxation In Respect Of Linear Projects, It Is Certified That 9.887 Hectares Of Forest Land Proposed To Be Diverted In Favour Of Irr Div-2 PMGSY, New Tehri For The Construction Of Km-15 Of Raipur-Kumalda-Kaddukhal Motor Road To Ragar Gaon (15.675 Km) In Tehri District Falls Within Jurisdiction Of Ragad Gaon Village In Dhanaulti Tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 9.887 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2, 23, 23.1

**(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it; **

(c) The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: - As above.

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II

(For projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand **Office of the District Collector New Tehri**

No **Dated** 29/9/16.

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 9.887 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Irr Div-2 PMGSY, New Tehri for the Construction of Km-15 Of Raipur-Kumalda-Kaddukhal Motor Road To Ragar Gaon (15.675 Km) in New Tehri district falls within jurisdiction of Ragad Gaon village in Dhanolti **Tehsils.**

It is further certified that:

(a) **The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 9.887 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V annexure 23.2, 23, 23.1**

(b) **The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;**

(c) **The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the garm sabha of** Ragadgaon **villages(s) is enclosed as annexure........To annexure......**

(d) **The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;**

(e) **The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;**

(f) **The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA**

Encl :- **As above.**

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

It is further certified that Minutes of Meeting of Raipur-Kumalda-Kaddukhal Motor Road Km. 15.00 to Ragar Gaon Motor Road (Length-15.675 Km.) regarding FRA is as following-- (Meeting date 29/6/16.........)

Sr.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 9.887 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (S) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure ...30-8......	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed b the Government as required under section 3 (2) of the FRA, have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचाय सदस्य
टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

Signature
(Full name and offical seal District Collector)

प्रपत्र 30.2

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A Meeting Of The District Level Committee Of DEHRADUN District, Constituted Under FRA. 2006 Was Held Under The Chairmanship Of Mr Indudar Badai I.A.S District Magistrate, New Terhi On Dated 29/9/2016 At Time 11:35.....At New Terhi In Which Application Claiming Rights In Measuring 9.887 Area Hect For The Construction Of Village Km-15 Of Raipur-Kumalda-Kaddukhal Motor Road To Ragar Gaon Motor Road Forest Land Under FRA. 2006 Of The Following Applicant Duly Processed And Recommended By The Sub Divition Level Committee Of New Tehri Sub Division Were Discussed To Consider The Same For Admission By The District Level Committee.

After Scrutiny Of The Documents And Detailed Discussions, No Objection/Claims Were Found To Have Been Made & Hence District Level Committees Recommend The Above Case For Diversion Of Land For The Said Purpose.

Place: New Tehri

Dated: 29/9/2016

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

प्रपत्र 30.3

परियोजना का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से रगड़गाव संरेखण प्रस्ताव कि0मी0 (15.675 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, धनोल्टी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति. ————————

उपखण्ड **जौनपुर** परिक्षेत्र के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से रगड़गाव (7.455 हे0 आरक्षित वन भूमि 0.136 हे0 सिविल एवं सोयम 2.296 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 9.887 हे0 वन भूमि) का **प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना** (ग्राम्य **विकास विभाग**) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील धनोल्टी) की दिनांक 29/3/16 —— को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ——————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
श्री [illegible] उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	[signature]
श्री के.पी. वर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	[signature] S.D.O.
श्री [illegible] नेगी सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	[signature]
श्रीमती मगनी देवी बी0डी0सी0	सदस्य	मगनी देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्राम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से रगड़गाव मोटर मार्ग परियोजना हेतु 9.887 हे0 वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक म सर्वसम्मति से उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से रगड़गाव मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 9.887 हे0 वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

[signature]

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– ————————
जनपद– ————————

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, टिहरी . को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

[signature]

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– ————————
जनपद– ————————

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से रगडगाव संरेखण प्रस्ताव कि0मी0 (15.675 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रगडगाव

धनोल्टी , जिला टिहरी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी, के अन्तर्गत जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से रगडगाव मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (7.455है0 आरक्षित वन भूमि, 0.136 है0 सिविल एवं सोयम, 2.296 है0 वन पंचायत भूमि, 1.085 है0 नाप भूमि अर्थात कुल 9.887 है0 वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रगडगाव द्वारा दिनांक 8/1/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रगडगाव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत रगड़ गाँव..
वि० ख० जौनपुर...जिला-टि०ग०

प्रधान ग्राम पंचायत रगड़ गाँव
ह0 भरत सिंह
दिनाक..........
क्षे०प० जौनपुर टिहरी गढ़वाल

प्रधान ग्राम पंचायत तौलियाकाटल
ह0
दि0
ग्राम प्रधान / सरपंच
जौनपुर टिहरी गढ़वाल
मुहर सहित

प्रपत्र 30.5

दिनांक 8.12.16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ~~स्यालगांव~~ कोकलियालगांव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रवेन सिंह	रवेन सिंह
2	रणजीत सिंह	रणजीत सिंह
3	मातवर सिंह	मातवर सिंह
4	गोवर सिंह	गोवर सिंह
5	दलीप सिंह	दलीप सिंह
6	ज्ञान सिंह	ज्ञान सिंह रावत
7	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
8	दान सिंह	दान सिंह
9	चरण सिंह	चरण सिंह
10	सोहन सिंह	सोहन सिंह
11	लोकेन्द्र सिंह	लोकेन्द्र पंवार
12	कमान सिंह	कमान सिंह
13	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह
14	नरेन्द्र सिंह	नरेन्द्र सिंह
15	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह
16	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
17	रविन्द्र सिंह	रविन्द्र सिंह
18	मदन सिंह	मदन सिंह
19	कल्याण सिंह	कल्याण सिंह
20	मदन सिंह	मदन

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत कोकलियाल गांव
ह० रेनू देवी
दिनांक..........
क्ष०प० जौनपुर (टि०ग०)

प्रपत्र 30.5

दिनांक 8|2|16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रगडगाव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जगमोहन सिंह	जगमोहन सिंह
2	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह
3	इतवार सिंह	इतवार सिंह
4	हरेन्द्र सिंह	हरेन्द्र सिंह
5	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
6	भगवान सिंह	भगवान सिंह
7	तारा सिंह	तारा सिंह
8	विनोद	[illegible]
9	विमला देवी	विमला देवी
10	मधु देवी	[illegible]
11	गोबर सिंह	गोबर सिंह
12	रतन सिंह	रतन सिंह
13	बचनलाल	बचनलाल
14	जसपाल सिंह	जसपाल सिंह
15	ममता देवी	ममता देवी
16		
17		
18		

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत रगड़ गांव
दिनांक
टिहरी गढ़वाल

प्रपत्र 30.5

दिनांक 8/2/16...को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ~~स्यालगाव~~ तौलियाकाटल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
2	मंगल सिंह	मंगल सिंह
3	रविन्द्र सिंह	रविन्द्र सिंह
4	विक्रम सिंह	विक्रम सिंह
5	कृपाल सिंह	कृपाल सिंह
6	विक्रम सिंह	विक्रम सिंह
7	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
8	प्रेम सिंह	(अंगूठा निशान)
9	कृपाल सिंह	कृपाल सिंह
10	राम लाल	राम लाल
11	जय सिंह	जय सिंह
12	राय सिंह	राय सिंह
13	बचन सिंह	बचन सिंह
14	पदम सिंह	पदम सिंह
15	शेर सिंह	शेर सिंह
16	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
17	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह
18	मोर सिंह	मोर सिंह

ग्राम पंचायत तौलियाकाटल
ग्राम प्रधान
जौनपुर टिहरी गढ़वाल